



2026:AHC:47869

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7293 वर्ष 2026

छिनागी

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : दिनेश कुमार पाण्डेय, प्रदीप कुमार पाण्डेय
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री आर. पी. शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखना कोई उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से स्वयं को व्यथित अनुभव करते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी सं. 2-अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय), तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे वाद सं. 282 वर्ष 1996-97, कम्प्यूटरीकृत वाद सं. डी200615060000003 का निस्तारण यथाशीघ्र करें।
4. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 229-बी के अंतर्गत दायर वाद वर्ष 1997 से प्रतिवादी सं. 2 के समक्ष विचाराधीन है।
5. उपर्युक्त परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का विधि के अनुसार यथाशीघ्र, तथा वांछनीय रूप से आज से तीन माह की अवधि के भीतर, अल्प तिथियाँ नियत करते



हुए निस्तारण करे तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या-2, अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय), तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

9 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी